कार्यालय–निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :–शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/बी/असंपूमैछा/2019–20/263 दिनांक : – 06/12/2019

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक–मुख्यालय)
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,
समग्र शिक्षा अभियान

MOST URGENT

विषय :– अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृति हेतु राष्ट्रीय छात्रवृति पोर्टल (N.S.P.) पर वर्ष 2019–20 में संस्थाओं को पुनः पंजीकृत करने एवं आवेदित बालको के आवेदन सत्यापित (verified) करने के कम में।

प्रसंग :– शासन सचिव स्कूल एंव भाषा विभाग के अ.शा. पत्राक 19(1)शिक्षा–6/2017/पार्ट जयपुर दिनांकः–20.11.2019 एवं इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांकः–06.08.2019, 02.09.2019, 12.09.2019, 25.09.2019, 14.10.2019, 15.10.2019, 16.10.2019, 18.10.2019, 30.10.2019, 6.11.19, 08.11.19, 11.11.19, 14.11.19, 20.11.19 एवं 22.11.2019, 25.11.2019,28.11.2019, 02.12.2019,03.12.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के कम मे लेख है कि अल्प संख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृति एनएसपी पोर्टल पर संस्थाओ के पुनः रजिस्ट्रेशन का कार्य चल रहा है। अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस हेतु **10 दिसम्बर 2019 अंतिम तिथि** निर्धारित की है। पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार आज दिनांक 06.12.2019 तक **1503** संस्थाओं ने पुनः रजिस्ट्रेशन हेतु पोर्टल पर आवेदन ही नहीं किया है, एवं जिशिअ द्वारा सत्यापन नहीं किए गये संस्थाओं की संख्या –104 है, जिसके कारण इस प्रकार के विद्यालयों ने जिन विद्यार्थियों ने छात्रवृति हेतु ऑन लाईन आवेदन करने बावजूद भी उनको छात्रवृति का भुगतान नहीं मिलेगा। **यह उन विद्यालयों की सूची है जिनके द्वारा पुनः रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन ही नही किया जबकि उक्त संस्थाओं मे बालकों ने छात्रवृति हेतु ऑनलाईन आवेदन कर दिये है। विस्तृत विवरण प्रपत्र अलग से पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।**

क्र.सं.	जिले का नाम	03.12.19 की रिपोर्ट	06.12.19 की रिपोर्ट	Institute Not approved by DEO	क्र.सं.	जिले का नाम	03.12.19 की रिपोर्ट	06.12.19 की रिपोर्ट	Institute Not approved by DEO
1	**अजमेर**	**47**	45	2	18	जैसलमेर	00	00	0
2	**अलवर**	**141**	118	17	19	जालौर	00	00	0
3	बांसवाड़ा	01	1	0	20	झालावाड़	11	2	0
4	बारां	12	9	3	**21**	**झुन्झुनू**	**78**	76	3
5	बाड़मेर	16	14	1	**22**	**जोधपुर**	**111**	109	6
6	भरतपुर	12	11	1	**23**	**करौली**	**26**	26	0
7	**भीलवाड़ा**	**39**	36	3	**24**	**कोटा**	**51**	44	0
8	**बीकानेर**	**53**	52	5	**25**	**नागौर**	**147**	141	4
9	बून्दी	04	4	0	26	पाली	05	5	0
10	चितौडगढ	17	17	2	27	प्रतापगढ	08	7	1
11	**चुरू**	**75**	72	4	28	राजसमन्द	05	5	0
12	**दौसा**	**46**	44	5	**29**	**स. माधोपुर**	**32**	23	3
13	**धौलपुर**	**38**	36	2	**30**	**सीकर**	**72**	65	6
14	डूंगरपुर	06	6	1	31	सिरोही	07	5	2
15	**गंगानगर**	**142**	135	8	**32**	**टोंक**	**42**	29	7
16	**हनुमानगढ**	**87**	61	7	**33**	**उदयपुर**	**60**	59	2
17	**जयपुर**	**254**	246	9		**कुल**	**1645**	**1503**	**104**

C:\Users\Dell\Desktop\Letter Minority (1).docx

इस प्रकार रजिस्ट्रशन कराने, के.वाई.सी. प्रमाणित करने की प्रगति अत्यधिक न्यून प्रकट हो रही है जो अत्यन्त खेद का विषय है। **विद्यालयों द्वारा रजिस्ट्रशन कराने, जि.शि.अ. द्वारा के.वाई.सी. प्रमाणित करने एवं Defective Applications Verification करने की अंतिम तिथि 10.12.2019** निर्धारित है। उक्त तिथि तक यदि इन संस्थाओं के पुनः रजिस्ट्रेशन नही करवाने के कारण आवेदित बालक छात्रवृति से वंचित रहते है तो संबंधित संस्था एव संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर छात्रवृति की देयता निर्धारित की जा सकेगी। संस्थाओं की सूची समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा को सलंग्न कर **(Excel File)** मे प्रेषित की जा रही है।

अतः समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा एवं समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वे अपने जिले मे संबंधित संस्थाओ से अविलंब संपर्क कर शत प्रतिशत संस्थाओं का पुनः पंजीकरण करवाकर अपने कार्यालय स्तर से सत्यापन (verification) करने की कार्यवाही संपादित करें। भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा भी इसे गंभीरता से लिया जा रहा है अतः उक्त कार्य मे यदि किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति बनती है तो उसकी समस्त जिम्मेवारी संबधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक एंव मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियाान की होगी। **इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।**

सलंग्न– रिर्पोट की प्रति एवं संस्थाओं की सूची **(Excel File)**

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कमांक :–शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/बी/असंपूमैछा/2019–20/263 दिनांक : – 06/12/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।
2. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को उनके अ.शा. पत्र दिनांक 20.11.2019 की पालना में।
3. अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. **समस्त संभागीय सयुंक्त निदेशक ,स्कूल शिक्षा विभाग** को प्रेषित कर निवेदन है कि आपके मण्डल के अधीनस्थ जिलों मे कार्य की प्रगति न्यून पाये जाने का कारण संबंधित से प्राप्त कर निदेशालय को प्रेषित करते हुए निर्धारित समयावधि 10.12.2019 तक कार्य को करवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. **समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान** को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आपके के अधीनस्थ समस्त ब्लॉकों मे कार्य की प्रगति न्यून पाये जाने का कारण संबंधित से प्राप्त कर निदेशालय को प्रेषित करते हुए निर्धारित समयावधि 10.12.2019 तक कार्य को करवाया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा आप स्वयं जिम्मेदार होगें।
6. समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, राजकीय/गैर राजकीय शिक्षण संस्थाओं के संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2019–20 में अपने विद्यालय का अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति हेतु एनएसपी पोर्टल पर दिनांक 10.12.2019 तक रजिस्ट्रेशन तत्काल करावें तथा उसके बाद संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) से वेरीफिकेशन की कार्यवाही सम्पादित कराने के बाद ही एनएसपी पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन से छात्रों के नूतन एवं नवीनीकरण आवेदनों **(Fresh & Renewal Applications)** को तत्काल सत्यापित करवाना सुनिश्चित करें।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्पयूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने बाबत् ।

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

C:\Users\Dell\Desktop\Letter Minority (1).docx